अध्याय -III
डाक विभाग

3.1 सेनवैट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण सेवा कर का अधिक भुगतान

निदेशक पी एल आई कोलकाता, व सी पी एम जी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान व दिल्ली डाक परिमंडल 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपयुक्त सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर तथा शैक्षिक कर के रुप में ₹ 7.52 करोड का परिहार्य भुगतान हुआ।

सितम्बर 2004 में शुरू किये गये सेनवैट नियमों ने विनिर्माता अथवा कर योग्य सेवा के प्रदाता को अनुमति दी थी कि वह विर्निदिष्ट अंतिम उत्पाद/आउटपुट सेवाओं के विनिर्माण में प्रयुक्त या उससे संबंधित इनपुट सेवाओं के लिए प्रदत्त शुल्क/सेवा कर का क्रेडिट ले। उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट का उपयोग आउटपुट सेवाओं पर सेवा कर में अथवा किसी उत्पाद पर लगने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिये किया जा सकता था। डाक विभाग (डा वि) द्वारा दी गई सेवाओं को भारत सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2006 से सेवा कर के दायरे में लाया गया। डा वि, आउटपुट सेवा प्रदाता होने के नाते, अपनी उत्पाद सेवाओं अर्थात, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा, व्यवसायिक सहायक सेवाओं पर सेवा कर व शैक्षिक कर संग्रहित करता है तथा प्राप्त की गई इनपुट सेवाओं जैसे डा वि के दूरभाष बिल, कम्प्यूटर के लिये वार्षिक अनुरक्षण प्रभार, पूंजीगत वस्तुओं के क्रय, आदि पर सेवा कर/उत्पाद शुल्क व शैक्षिक कर का भुगतान करता है।

2008-09 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 के पैराग्राफ संख्या 2.6 में सेवा कर के अधिक भुगतान पर टिप्पणी की गई थी। मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पणी (दिसम्बर 2010) में लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किया था व बताया था कि सेनवैट क्रेडिट का दावा करने की कार्यपद्धति पर विस्तृत अनुदेश नवम्बर 2010 में सभी परिमंडलों को जारी किये गये थे।

तथापि, मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2010 में अनुदेश जारी करने के बावजूद भी, कमियाँ निरन्तर बनी रहीं। निदेशक, डाक जीवन बीमा (नि डा जी बी) कोलकाता व सी पी एम जी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान व दिल्ली परिमंडलों के कार्यालयों की लेखापरीक्षा जांच के रिकार्ड (जनवरी 2014, जनवरी 2015 से मार्च 2015 और मई 2015 में अद्यतन) से पता चला कि 2010-11 से 2013-14 के दौरान सेवाकर के रूप में ₹ 7.52 करोड़ का भुगतान इनपुट सेवाओं के कारण किया गया था। तथापि, यह संज्ञान में आया कि आउटपुट सेवाओं के लिये सेवाकर का भुगतान करते समय, इन परिमंडलों ने सहायक सेवाओं पर सेवाकर के विरूद्व ₹ 7.52 करोड़ का पात्र सेनैवट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	यूनिट का नाम	इनपुट सेवाओं के प्रकार जिस पर सेवा कर का भुगतान किया गया	सेनवैट क्रेडिट की गैर प्राप्ति के कारण अधिक भुगतान
1	डी पी एल आई कोलकाता	एजेन्ट को कमीशन का भुगतान	2.79
2	महाराष्ट्र	निजी एयरलाइन्स द्वारा स्पीड पोस्ट डाक पर कैरियेज	1.70
3	पश्चिम बंगाल	दूरभाष बिल, ए एम सी आदि	1.08
4	दिल्ली	स्वचालित डाक प्रक्रिया प्रणाली	1.61
5	राजस्थान	दूरभाष बिल, ए. एम. सी आदि	0.34
कुल			**7.52**

लेखापरीक्षा के एक पूर्व के संदर्भ[1] में मंत्रालय ने कहा (मई 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 2.79 करोड़ के प्राप्त नहीं किए गए सेनवैट क्रेडिट का लाभ निदेशक, डा जी बी कोलकाता ने सितम्बर 2014 के दौरान उठा लिया गया है।

मुख्य महाडाकपाल मुम्बई ने बताया (सितम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 1.70 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट सितम्बर 2015 में प्राप्त किया गया था, सी पी एम जी पश्चिम बंगाल ने स्वीकार किया कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था। सी पी एम जी राजस्थान परिमंडल ने बताया कि सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। दिल्ली परिमंडल के सम्बन्ध में, निदेशक (डाक व्यवसाय) डा वि ने अगस्त 2015 में बताया कि डाक निदेशालय के डी डी ओ ने सेनवैट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया। आगे यह भी बताया गया था कि विक्रेता को भुगतान करने के सम्बन्ध में संस्वीकृत आदेश की प्रतियां डी डी ओ को पृष्ठांकित करते समय डी डी ओ द्वारा सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए एक टिप्पणी जोड़ी जायेगी। तीन सर्किलों द्वारा ₹ 3.03 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट उपयोग किया जाना शेष है (अक्तूबर 2015)।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से पुष्टि होती है कि डा वि को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सेनवैट क्रेडिट के लाभ का दावा करने के लिए डा. वि. द्वारा जारी अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है।

3.2 बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय

डाक विभाग ने अपेक्षित साफ्टवेयर सुसंगत तरीके से विकसित किये बिना बारकोडेड बैग लेबलों की अधिप्राप्ति की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ के निष्फल व्यय के अलावा आशयित उद्देश्य की गैर–उपलब्धि हुई।

डाक विभाग (डा वि) का प्राथमिक कार्य डाक का संग्रहण, सम्भरण, सम्प्रेषण व वितरण है। सभी डाक वस्तुयें जिसकी विषय वस्तु संदेश प्रकृति की है, को डाक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें पत्र, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, पैकेट, साधारण/पंजीकृत पत्र, बीमाकृत वस्तुऐं, मूल्य भुगतान योग्य वस्तुऐं, स्पीड पोस्ट शामिल हैं। इनको प्रथम श्रेणी व द्वितीय क्षेणी की डाक के रूप वर्गीकृत किया गया

1 जनवरी 2014 में, निदेशक डी पी एल आई कोलकाता को एक संदर्भ दिया गया था

है। प्रथम श्रेणी की डाक का भारत के भीतर मुफ्त एयर मेल सम्प्रेषण होता है; जबकि द्वितीय श्रेणी की डाक का एयर लिफ्ट डाक तभी होता है जब हवाई प्रभार के साथ पूर्व भुगतान किया गया है। स्पीड पोस्ट व पंजीकृत डाक के लिये खोज़ व पता सुविधा उपलब्ध कराकर सम्प्रेषण की दृष्यता बढ़ा दी गई है। ग्राहक विशिष्ट बारकोड संख्या का उपयोग करके इंडिया पोस्ट वेवसाइट के माध्यम से डाक का पता लगा सकता है।

बैग लेवल डेटा इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से, डा वि ने जून 2012 में अपंजीकृत प्रथम श्रेणी के डाक बैग के लिये बारकोडेड बैग लेबल प्रारम्भ करने का निर्णय किया। सभी डाक परिमंडलों को अनुदेश दिये गये थे कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप आबंटित विनिर्देशनों के अनुसार इन बैग लेबल के लिये आदेश दें। यह प्रक्रिया 31 जुलाई 2012 तक पूरी की जानी थी। इसके अतिरिक्त, मई 2012 में डा वि ने परिकल्पना की कि जब तक आवेदन साफ्टवेयर विकसित नहीं हो जाता है, तब तक साधारण डाक के लिये बैग लेबल डेटा प्रचलित आर–नेट साफ्टवेयर का उपयोग, जो कि पंजीकृत डाक की प्रक्रिया के लिये प्रयुक्त किया जाता है, करते हुये प्राप्त किया जा सकता है। मेल नेटवर्क आप्टीमाइजेशन परियोजना (एम एन ओ पी) के भाग के रूप में, सेण्टर फार अनुपयोग एक्सेंस इन पोस्टल टेक्नोलोजी (सी ई पी टी) मैसूर को जुलाई 2012 में निर्देश दिया गया था कि वह आर नेट को अनुशास्ति करवायें तथा डाक कार्यालयों में बैग लेबल डेटा की प्राप्ति के लिये कार्यात्मकता विकसित करें। बाद में, सी ई पी टी से कहा गया था कि वह प्रधान डाकघरों में भी अपंजीकृत डाक बैग लेबल की जांच (स्कैनिंग) के लिये कार्यात्मकता शामिल करें।

17 परिमंडलों में 30 डाक भंडार डिपो में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2014 व अद्यतन जुलाई 2015 तक) से पता चला कि डा वि के अनुदेश पर अगस्त 2012 से मार्च 2015 के दौरान 476.21 लाख बारकोडेड लेबल ₹ 1.71 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त किये गये थे, जैसा कि **अनुलग्नक VIII** में वर्णित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इन बारकोडेड बैग लेबल का उपयोग बैग लेबल डेटा इलेक्ट्रानिक तरीके से प्राप्त करने के प्रयोजन से नहीं किया गया था क्योंकि न तो विद्यमान साफ्टवेयर अनूकुलित था और न ही एक नये साफ्टवेयर विकसित किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि चूंकि इन लेबल का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा था अतः डा वि ने अक्तूबर 2014 में सभी परिमंडलाध्यक्षों को अनुदेश जारी किये थे कि वे दिसम्बर 2014 से अपंजीकृत डाक वाले बैग बंद करते समय इन लेबल का उपयोग करें।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, परिमंडलों ने (जून/जुलाई 2015) में कहा कि अपेक्षित साफ्टवेयर उन्हें मुहैया नहीं कराया गया था। तथापि, इन बारकोडेड बैग लेबल का उपयोग अपंजीकृत डाक बैग के लिये किया जा रहा था।

इस प्रकार, अपेक्षित साफ्टवेयर विकसित किये बिना डा वि द्वारा बारकोडेड बैग लेबल की अधिप्राप्ति तथा साधारण लेबल के रूप में इन लेबल के क्रमागतः उपयोग से बैग लेबल डेटा इलेक्ट्रानिक तरीके से प्राप्त करने का प्रयोजन विफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का निष्फल व्यय रहा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

3.3 किराये का गैर दावा

मुख्य महाडाकपाल, कर्नाटक परिमंडल बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड से अस्थायी आधार पर दी गई भूमि के किराये का दावा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के किराये की गैर–वसूली हुई।

डाक विभाग (डा. वि.) की वित्तीय शक्तियों की अनूसूची के पैराग्राफ 22(ख) के अनुसार, परिमंडलों के अध्यक्ष, डाक विभाग सम्बन्धित/पट्टे पर ली गई खाली भूमि से सरकारी कर्मचारियों अथवा निजी व्यक्तियों अथवा वार्षिक संविदा के तहत निकायों को किराये पर दे सकते हैं अथवा अति अनूकूल दरों पर पट्टे पर दे सकते हैं।

बैंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (बी एम आर सी एल) द्वारा महाडाकपाल, (पी एम जी) प्रधान डाकघर (जी पी ओ) बंगलोर से जुलाई 2009 में जी पी ओ परिसर में 1015 वर्ग मीटर भूमि की अस्थायी आवश्यकता के सम्बन्ध में एक अनुरोध किया गया था ताकि जीपीओ के पूर्वी छोर तथा पश्चिमी छोर (चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम) के बीच मेट्रो स्टेशन के निर्माण को सुगम बनाया जा सके।

मुख्य डाकपाल, प्रधान डाकघर बैंगलौर कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2015) से पता चला कि मुख्य महाडाकपाल, कर्नाटक परिमंडल ने बी एम आर सी एल का प्रस्ताव स्वीकार किया। तथापि, अस्थायी आधार पर बी. एम आर सी एल द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए किसी किराये का दावा नहीं किया गया था, जोकि वित्तीय शक्तियों की अनूसची में निहित प्रावधानों का उल्लंधन था। इसके अतिरिक्त, यह भी संज्ञान में आया कि बी एस एन एल से सम्बन्धित 810.12 वर्ग मी की माप वाली निकटवर्ती भूमि भी बी एम आर सी एल को अस्थायी आधार पर दी गई थी (सितम्बर 2009), जिसके लिये बी एम आर सी एल ने सरकार द्वारा प्रकाशित भूमि के निर्देशित मूल्य का 7 प्रतिशत वार्षिक मानक दर पर किराये का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार, सी पी एम जी कर्नाटक परिमंडल द्वारा बी एम आर सी एल से भूमि की अस्थायी आवश्यकता के लिए किराये का दावा करने में चूक कर के परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़[2] के किराये की वसूली नहीं हुई, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

अवधि	महीनों की संख्या	कुल भूमि	प्रति वर्ग मीटर/ प्रति माह दर	राशि
01.08.2009 से 31.12.2009	5	1015 वर्ग मीटर	238.07	0.12
01.01.2010 से 31.12.2014	60			1.45
01.01.2015 से 31.03.2015	3			0.07
कुल				1.64

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमत होते हुये उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि किराये के भुगतान से सम्बन्धित मामले को बी. एम आर सी. एल के साथ उठाया गया है तथा यह विचाराधीन है। बी एम आर सी एल ने सूचित किया कि वे शीघ्र ही किराये से भुगतान योग्य राशि निर्दिष्ट करेंगे।

2 बी एस एन द्वारा दावित किराये के आधार पर हिसाब किया गया। भूमि का निर्देशित मूल्य जैसा कि सरकार द्वारा प्रकाशित = ₹ 40,812/ प्रति वर्गमीटर। अस्थायी आधार पर भूमि के प्रति वर्गमीटर का किराया = वार्षिक मूल्य का 7 प्रतिशत अर्थात ₹ 2,856.84 प्रतिवर्ष। प्रतिमाह अस्थायी क्षेत्रफल के लिये किराया = ₹ 2,856.84/12 = ₹ 238.07)

इस प्रकार बी एम आर सी एल को पट्टे पर भूमि देते समय, किराये का दावा करने में सी पी एम जी कर्नाटक परिमण्डल की चूक ₹ 1.64 करोड़ के किराये पर वसूली में फलित हुई।

3.4 बिजली प्रभारों का परिहार्य भुगतान

तमिलनाडु डाक परिमंडल के अन्तर्गत दो इकाईयों व पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल के अन्तर्गत एक इकाई द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विलम्ब के परिणामस्वरूप बिजली प्रभारों में ₹ 0.84 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

तमिलनाडु डाक परिमंडल के अन्तर्गत एयरमेल सोर्टिंग डिवीजन (ए एस डी) चेन्नई व महाप्रबंधक (डाक लेखा व वित्त) (जी एम (पी ए एंड एफ) चेन्नई तथा पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल के अन्तर्गत ए एस डी कोलकाता ने क्रमशः जुलाई 2002, मार्च 2006 व फरवरी 2012 में तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टी एन ई बी) तथा कलकत्ता बिजली आपूर्ति कारपोरेशन लिमिटेड (सी ई एस सी) के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जाने हेतु एक करार किया। 325 के वी ए के लिए क्रमशः (अगस्त 2004 में न्यूनीकृत 275 के वी ए) तथा 250 के वी ए तथा ए एस डी कोलकाता के लिये 428 के वी ए की संविदात्मक अधिकतम मांग[3] ए एस डी चेन्नई व जी एम (पी ए एफ) चेन्नई की गई थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 2014 व मार्च 2015) से पता चला कि ए एस डी चेन्नई व कोलकाता तथा जी एम पी ए एंड चेन्नई ने अपनी सम्बन्धित इकाईयों के लिये मांग की नियमित समीक्षा नहीं की थी तथा विद्यमान सी एम डी को जारी रखा जो कि अपेक्षित मांग से काफी अधिक थी। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल परिमंडलों में डाक प्राधिकारियों की इस भूल के परिणामस्वरूप मांग प्रभारों में ₹ 83.80 लाख का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹लाख में)

इकाई का नाम	अवधि	सी एम डी (के वी ए/ के डब्ल्यू में)	मांग की सीमा	न्यूनतम मांग जिसका बिल बनाया जाना था	औसतन अधिकतम मांग[4]	अन्तर (स्तम्भ 5–स्तम्भ 6)[5]	अधिक राशि का भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
ए एस डीए चैन्नई	जनवरी 2003 से अगस्त 2004	325	145 से 231	293	185	108	6.48
	सितम्बर 2004 से नवम्बर 2014	275	40 से 237	248	133	115	42.43
	दिसम्बर 2014	275		248	135	113	0.37
	जनवरी 2015 से मार्च 2015	275		248	131	117	1.23
जी एमए पी ए एवं एफ चैन्नई	सितम्बर 2006 से दिसम्बर 2014	250	102 से 185	225	146	79	23.70
ए एस डीए कोलकाता	फरवरी 2013 से जनवरी 2015	428	145 से 320	364	238	126	9.59
कुल							83.80

3 बिजली खपत पैटर्न पर आधारित संविदात्मक मांग

4 चैन्नई में 90 प्रतिशत सी एम डी तथा कोलकाता में 85 प्रतिशत सी एम डी

5 अधिक राशि की गणना महीने व प्रति दर के वी ए से कॉलम 7 की गुणा करके की गई थी। तमिलनाडु के लिये प्रति के वी ए दर (₹300/- दिसम्बर 2014 से यह ₹ 325/- और जनवरी 2015 से ₹.350/- तथा कोलकाता के लिये प्रति के वी ए दर (₹ 317/-)

आगे यह भी देखा गया था कि जनवरी 2012 में स्वचालित प्रक्रिया केन्द्र के बंद होने के बावजूद भी, ए एस डी चेन्नई ने 275 के वी ए के मौजूदा सी एम डी को जारी रखा, जबकि जनवरी 2012 से मार्च 2015 की अविध के दौरान अधिकतम मांग 40 से 74 के वी ए रिकार्ड की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2015) कि ए एस डी चेन्नई के सम्बंध में, मई 2004 से लोड़ 325 के वी ए से कम कराकर 275 के वी ए हो गया था। अधिकतम मांग 110 के वी ए तक कम हो गई थी क्योंकि ए एम पी सी मशीनों ने 2012 से कार्य करना बंद कर दिया था तथा टी एन ई बी से अनुरोध किया गया था कि वह लोड 275 के वी ए से कम करके 125 के वी ए करें। मार्च 2015 में एच टी आपूर्ति को एल टी आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिये एक नया संयोजन स्वीकृत किया गया था तथा अगस्त 2015 में एल टी आपूर्ति हेतु एक ट्रांसफारमर नियत किया गया था। जी एम, पी ए व एफ चेन्नई के सम्बंध में यह कहा गया कि टी एन ई बी ने स्वीकार किया था कि मीटर दोषपूर्ण था तथा इसे नये मीटर से बदल दिया जायेगा। ए एस डी कोलकाता के सम्बंध में यह बताया गया था कि सी एई एस सी मई 2015 से 290 के वी ए के लिये बिल की मांग उठा रहा था।

मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने तमिलनाडु बिजली बोर्ड के साथ 325 के वी ए की आपूर्ति के लिये करार किया था जो कि अगस्त 2004 से 275 के वी ए तक कम कर दिया गया था और मार्च 2015 तक बनी रही, यह भी अपेक्षित सी एम डी से अभी भी उच्चतर थी जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:

- अगस्त 2004 से सी एम डी 275 के वी ए रही जबकि सितम्बर 2004 से दिसम्बर 2011 के दौरान औसतन खपत मात्र 167 के वी ए थी।
- जनवरी 2012 से ए एम पी सी के बंद हो जाने के बाद औसतन खपत केवल 51 के वी ए थी।

उपरोक्त के बावजूद भी, नौ वर्षों के बीत जाने बाद ही लोड की कमी के लिए कदम उठाये गये थे तथा ए एस डी चेन्नई ने खपत में कमीं के बावजूद भी उच्चतर सी एम डी के लिये भुगतान जारी रखा।

इस प्रकार तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल डाक परिमंडल द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं के नियमित मूल्यांकन में विलम्ब के कारण विभाग को जनवरी 2003 से मार्च 2015 की अवधि के लिये मांग प्रभारों के रूप में ₹ 0.84 करोड़ का परिहार्य अधिक भुगतान करना पड़ा।

3.5 स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र का कम उपयोग

डाक विभाग (डा वि) ने दिल्ली व कोलकाता के लिये स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र (ए एम पी सी) ₹ 82.53 करोड़ पर अधिप्राप्त किये थे। भारतीय डाक मानक की आवश्यकताओं के साथ ए एम पी सी की असंगतता के परिणामस्वरूप इन ए एम पी सी का असंतोषजनक कार्य निष्पादन व कम उपयोग हुआ।

डाक का संग्रहण, वितरण व सुपुर्दगी के अतिरिक्त डाक प्रसंस्करण डाक विभाग की मुख्य गतिविधियों में से एक है। डा वि इन कार्यों को 1.55 लाख डाकघरों व 400 डाक प्रक्रिया केन्द्रों से अधिक नेटवर्क के

माध्यम से करता है। इस गतिविधि का मशीनीकरण आवश्यक समझा गया था क्योंकि डाक का संचालन पूरी तरह हस्तचालित था जिसने इसकी प्रक्रिया को त्रुटियुक्त व धीमा बना दिया। डा वि ने मुम्बई व चेन्नई में 7वीं व 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक प्रसंस्करण गतिविधियों के लिये स्वचालित डाक प्रक्रिया केन्द्र (ए एम पी सी)[6] प्रारम्भ किये जो कि क्रमशः 1993 व 1996 में प्रचलन में आये। इन ए एम पी सी के उपयोग पैटर्न ने यह संकेत दिया कि इन प्रणालियों का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि डाक का मानकीकरण नहीं किया गया था जिससे इन मशीनों पर इसे प्रसंस्करण के लिये अनुपयुक्त कर दिया।

सी ए जी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संख्या 2007 का पी ए 1 के पैराग्राफ 1.14.1 व 1.14.2 में मुम्बई व चेन्नई में ए एम पी सी के कम उपयोग पर टिप्पणी की गई थी। मंत्रालय ने ए एम पी सी के कम उपयोग के कारण बताते समय अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (जुलाई 2008) में भी बताया था कि विभाग डाक वस्तुओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक था तथा 11वीं योजना के दौरान इसके लिये संरचनात्मक अभ्यास सुनियोजित किया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि 11वीं योजना के दौरान भी दिल्ली व कोलकाता में प्रतिष्ठापित ए एम पी सी का सकल रूप से कम उपयोग हुआ था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई हैं:

ए एम पी सी के अधिप्राप्ति व उपयोग से सम्बन्धित अभिलेखों (मई 2014 व फरवरी 2015 में अद्यतन) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विक्रेता की तकनीकी बोली के अनुसार, सभी प्रकार की वस्तुयें उदाहरणार्थ, पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड आदि ए एम पी सी के माध्यम से संसाधित किये जा सकते थे। तथापि, यह देखा गया था कि केवल प्रथम श्रेणी की अपंजीकृत मानकीकृत डाक अर्थात् व्यवयायिक डाक व स्पीड पोस्ट ही ए एम पी सी के माध्यम से छांटी गई थी। इसके अतिरिक्त, ए एम पी सी के माध्यम से सभी प्रकार की वस्तुओं के प्रसंस्करण नहीं होने के कारण दिल्ली व कोलकाता में क्रमशः 42 व 30 प्रतिशत डाक (जनवरी 2013 से जुलाई/अक्तूबर 2045)एम पी सी के माध्यम से संसाधित की जा सकती थी जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

(संख्या लाख में)

केन्द्र	औसतन दैनिक डाक प्राप्ति	ए एम पी सी द्वारा छाँटी गई औसतन डाक	छाँटी गई डाक की दैनिक प्रतिशतता
दिल्ली (अक्तूबर 2014 तक)	7.76	3.26	42
कोलकाता (जुलाई 2014 तक)	5.41	1.64	30

उपरोक्त तर्क की पुष्टि इस तथ्य से भी हुई थी कि मुख्य महाडाकपाल ने डा वि को सूचित किया (सितम्बर 2013) कि डाक का केवल 40 प्रतिशत ही ए एम पी सी के माध्यम से छांटा जा सका था और शेष हाथ द्वारा छांटी जा रही थी। यह भी बताया गया था कि ए एम पी सी के प्रतिस्थापन के बाद दिल्ली में मानव श्रम पर व्यय वास्तव में बढ़ गया था। इस प्रकार भारतीय डाक मानक की आवश्यकताओं के साथ ए एम पी सी की असंगतता के परिणामस्वरूप इन ए एम पी सी का असंतोषजनक कार्य निष्पादन व कम उपयोग हुआ।

6 प्रत्येक ए एम पी सी में आप्टीकल करेक्टर रीडर (ओ सी आर), पत्र छंटाई मशीन (एल एस एम), मिक्स छंटाई मशीन (एम एस एम) आदि होती है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर (अगस्त 2015) मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2015) कि पोस्टकार्ड, अन्तर्देशीय पत्र आदि इस प्रकार की वस्तुओं की छंटाई न करने का कारण था कि ऐसी वस्तुओं की मात्रा बहुत कम थी तथा इसलिये उन्हें पत्र छंटाई मशीनों के माध्यम से छांटा गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया था कि डाक के मानकीकरण के लिये निधि परिमंडलों को आबंटित की गई थी, तथापि डाक के मानकीकरण के सम्बंध में प्रत्याशित परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त डाक का मानकीकरण स्वचालित छंटाई के लिये अहम आधार था तथा डा वि इस पहलू को आगे बढ़ा रहा था परन्तु हमारे देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र तथा ग्रामीण जनसंख्या की बड़ी प्रतिशतता के कारण वांछित सफलता प्राप्त नहीं की गई है। अंत में यह आम जनता ही है जिसे मानकीकृत लेखन सामग्री का उपयोग करना तथा डाक में सही पता लिखना पड़ता है।

इसलिये, डा वि की स्वीकृति कि 100 प्रतिशत स्पीड पोस्ट व व्यवसायिक डाक वस्तुयें ए एम पी सी के माध्यम से नहीं छांटी गई हैं, लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करती है कि डाक का गैर मानकीकरण ही न केवल कमियों वाला है बल्कि भारतीय डाक मानक के साथ ए एम पी सी की असंगता भी इन ए एम पी सी के असंतोषजनक निष्पादन व कम उपयोग का कारण हैं। यद्यपि डा वि ने बताया था (जुलाई 2008) कि डाक मानकीकृत करने के लिये कदम उठाये जा रहे थे, परन्तु इसे आज तक प्राप्त नहीं किया गया था। डा वि को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ए एम पी सी का अभीष्टतम उपयोग करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।